

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/निदे०(प्रचार-प्रसार)४२-०९/२०२४-३०८

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-२५/०२/२०२६

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में राज्य स्कीम मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०१६ तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००७ तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आदि का आयोजन हेतु कुल ₹६७,००,०००/- (सड़सठ लाख रू० रू०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-१५ दिनांक-०७.०४.२०२५ के द्वारा कुल ₹१,००,००,०००/- (एक करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-१६ दिनांक-०७.०४.२०२५ द्वारा २०,००,०००/- (बीस लाख रू०) तथा पत्रांक-११६ दिनांक-२२.०७.२०२५ द्वारा १३,००,०००/- (तेरह लाख रू०) मात्र की राशि मुख्यालय को आवंटित की गई है। उसी क्रम में जिलों को उनके मांग के आलोक में कुल ₹६७,००,०००/- (सड़सठ लाख रू० रू०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी-१ के अनुसार आवंटित की जाती है।

२-आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में राज्य स्कीम मद में मुख्य शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-००१-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-०१०१- निदेशन और प्रशासन-मांग सं०-४४-विषय शीर्ष-०१०१.२६.०१-विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड ४४-२२२५०१००१०१०१ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

३-आवंटित राशि अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, संशोधन अधिनियम-२०१५, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०१६ तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००७ तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आदि का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि पर व्यय किया जाएगा।

४- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-९८ एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

५-इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

६-इस योजना के तहत वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

7-इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-03-2026 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8-इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।


विश्वासभाजन


निदेशक।

ज्ञापांक- 3/निदे0(प्रचार-प्रसार)42-09/2024- 308

दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण/उप निदेशक (मु0)/प्रशाखा पदाधिकारी-3डी0, 4डी0, 5डी0 एवं 6डी0 /सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक- 3/निदे0(प्रचार-प्रसार)42-09/2024- 308

दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपि- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक- 3/निदे0(प्रचार-प्रसार)42-09/2024- 308

दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
विवरणी

81

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संशोधन अधिनियम, 2015 नियम, 1995 एवं संशोधन नियम, 2016, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 तथा विभागीय योजनाओं के प्रावधानों की पुस्तिका का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला आदि का आयोजन हेतु उपबंधित राशि का आवंटन विवरणी:-

राशि लाख में

क्र०सं०	जिला का नाम	कुल राशि
1	2	3
1	ARARIA	1.00
2	ARWAL	1.00
3	AURANGABAD	2.50
4	BANKA	1.00
5	BEGUSARAI	2.50
6	BHAGALPUR	2.00
7	BHOJPUR	2.00
8	BUXAR	1.00
9	DARBHANGA	2.50
10	GAYA	2.00
11	GOPALGANJ	3.00
12	JAMUI	2.50
13	JEHANABAD	1.00
14	KAIMUR	1.00
15	KATIHAR	2.00
16	KHAGARIA	1.00
17	KISHANGANJ	3.00
18	LAKHISARAI	0.50
19	MADHEPURA	1.00
20	MADHUBANI	3.00
21	MUNGER	2.00
22	MUZAFFARPUR	1.00
23	NALANDA	1.00
24	NAWADA	2.00
25	PASHCHIM CHAMPARAN	2.00
26	PATNA	2.00
27	PURBI CHAMPARAN	3.00
28	PURNIA	2.00
29	ROHTAS	2.00
30	SAHARSA	1.00
31	SAMASTIPUR	2.00
32	SARAN	2.00
33	SHEIKHPURA	2.00
34	SHEOHAR	0.00
35	SITAMARHI	2.50
36	SIWAN	2.00
37	SUPAUL	1.00
38	VAISHALI	2.00
	कुल	67.00

(सड़सठ लाख रू०)

सं०सं 3/निदे० (प्रचार-प्रसार)42-09/2024-308 दिनांक-24/02/2026

निदेशक